



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2014—आश्विन 8, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

फा. क्र. 6-10-06-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 28 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (5) तथा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधित करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (1) में खण्ड (घ) का लोप किया जाए.

F. No. 6-10-6-twenty one-B (Two).—In exercise of the power conferred by sub-section (5) and (6) of Section 6 read with Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the amendment in the Madhya Pradesh District Legal Aid Officer (Recruitment) Rules, 2007, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), clause (d) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव,